
	<p>नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुत्वन कम्पनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873</p>	
---	---	---	---

No.CSF/SOG/2-271/CT/Agri./2019-20

Dated: 21.09.2019.

निविदा/नीलामी सूचना

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान) में लगभग 16200 क्विंटल ईमारती/जलाउ लकड़ी की बिक्री हेतु दिनांक 15.10.2019 को सांय 1.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जो कि उसी दिन सांय 2.30 बजे खुली बोली के बाद खोली जायेंगी। अमानत राशि के रूप में रूपये 20,000.00 मात्र प्रथम लॉट के लिए, इसके बाद अन्य लॉट के लिए रु.10000.00 प्रति लॉट के हिसाब से जलाउ/ईमारती लकड़ी और निविदाफार्म का कीमत रूपये 236/- के डीडी जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़ के नाम हो, जमा कराना होगा। विस्तृत विवरण हमारी वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। नियम एवं शर्तें कार्य दिवस में सुबह 9.30 से सांय 5.15 तक कार्यालय में देखी जा सकती हैं। निविदादाता को पेननम्बर, वोटर आईडी व पते की प्रति देनी होगी।

प्रबंधक (उ.)



नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड
(भारत सरकारकाउपक्रमलघुत्न कंपनी)
“An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company”
केन्द्रीय राज्य फार्म, सुरतगढ़
जिलाश्रीगंगानगर (राज.)
फोन: 01509-223873
ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking Miniratna Company)
“An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company”
CENTRAL STATE FARM, SURATGARH
Distt:- SriGanganagar
Phone : 01509-223873



No.CSF/SOG/2-271/CT/Agri./2019-20

Dated: 20.09.2019.

निविदा / नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम के फार्म/क्षेत्रीय कार्यालय केन्द्रीय राज्य फार्म सुरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के अधिकार में प्रक्षेत्र वानिकी के अंतर्गत निम्न लिखित एकत्रित लकड़ी को विभिन्न लॉट में निविदा-सह-नीलामी नियम के अनुसार विक्रय करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित हैं।

लॉट नं०	लकड़ी का विवरण / प्रकार / श्रेणी	लकड़ी का अनुमानित वज़न (कु.) / झाड़ियों का क्षेत्रफल	लॉट के रखे हुई जगह की पहचान
1/11	शीशम इमारती लकड़ी, खण्ड-1, 2, 3	मात्रा-287.90 क्विंटल	26.0 Qtls. B-1 Backside of open shad North side, 27.0 Qtls. Behind tech. Store of B-II 234.9 Qtls. Behind Tech. Store Near Fuel Pump at B-2
2/11	कीकर इमारती लकड़ी, खण्ड-1, 3	मात्रा-283.00 क्विंटल	36.0 Qtls. B-1 Backside of open shad Near Godown No. 5, 247.0 B-2 behind open shad No.2.
3/11	जड, खण्ड-1	मात्रा- 80.00 क्विंटल	Backside of Open shad north direction.
4/11	स्क्रेप लकड़ी खण्ड-2	मात्रा- 351.60 क्विंटल	Opposite Godown No. 4
5/11	जलाउ लकड़ी, खण्ड-1	मात्रा-2190.50 क्विंटल	Backside of Open shad Near Godown No.5
6/11	जलाउ लकड़ी, खण्ड-1	मात्रा-3315.70 क्विंटल	Backside of Open shad West direction
7/11	जलाउ लकड़ी, खण्ड-2	मात्रा- 2000.00 क्विंटल	Opposite Godown No.6 Last Gate
8/11	जलाउ लकड़ी, खण्ड-2	मात्रा-2000.00 क्विंटल	Behind Tech. Store
9/11	जलाउ लकड़ी, खण्ड-2	मात्रा- 2000.00 क्विंटल	Behind Godown No.3
10/11	जलाउ लकड़ी, खण्ड-2	मात्रा-1362.90 क्विंटल	Opposite Godown No. 3
11/11	जलाउ लकड़ी, खण्ड-3	मात्रा-2327.20 क्विंटल	Near Main Gate Block No.2 & Opposite Godown No.3 Western Side



निविदा मूल्य प्रस्ताव (Tender Offer) प्रति वृक्ष लॉट या लकड़ी-झाड़ी हेतु श्रेणी /लॉट में प्रति कुंतल की दर से भरने होंगे। निविदाएं दिनांक **15.10.2019** तक 1-00 बजे तक स्वीकार की जाएगी। जो कि दिनांक **15.10.2019** पर 2-30 बजे अथवा खुली बोली के पश्चात निविदा खोली जाएगी। इच्छुक योग्य क्रेता/समूह /फर्म आदि निविदा-सह-नीलामी मे भाग लेने हेतु आमंत्रित हैं। खड़े पेड़ों का विवरण एवं गर्थ / लकड़ी की श्रेणी का विवरण तथा विक्रय के नियम व शर्तों का विवरण तथा निविदा प्रपत्र (टेंडर फार्म) किसी भी कार्यदिवस मे रु.236/- का बैंक ड्राफ्ट देकर फार्म कार्यालय से दिनांक **23.09.2019** समय 9.30 A.M. से

किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी लिया जा सकता है परन्तु डाउनलोड प्रपत्र के साथ निविदा शुल्क रु. 236/-का बैंक ड्राफ्ट / बैंक ट्रान्सफर रसीद लगाकर जमा करना होगा। प्रत्येक लॉट के ठेके के लिए उपरोक्त वर्णित निश्चित धरोहर राशी का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के नाम देय हो निविदा के साथ संलग्न करना होगा। नीलामी की खुली बोली में भाग लेने के लिए नीलामी से पूर्व निश्चित धरोहर राशी का डिमांड ड्राफ्ट / बैंक ट्रान्सफर रसीद, फार्म पर नियम व शर्तों के अनुसार पैन कार्ड, पहचान पत्र, अन्य आवश्यक सबूतों आदि की प्रतिलिपि सहित जमा करना होगा। निविदा / नीलामी के समय पहचान पत्र एवं अन्य दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे।

फार्म प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम _____)

पूर्ण पता

	<p>नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुस्वल्न कंपनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873</p>	
---	---	--	---

No.CSF/SOG/2-271/CT/Agri./2019-20

Dated: 20.09.2019.

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक: _____

दिनांक

निविदा भेजने हेतु पता: उप महाप्रबन्धक (फार्म), केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला— श्री गंगानगर (राजस्थान)

निविदा खोलने की दिनांक: **15.10.2019** समय: 2-30 स्थान केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़

विषय: राष्ट्रीय बीज निगम के फार्म कार्यालय केंद्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला-श्री गंगानगर के अधिकार में प्रक्षेत्र वानिकी के अंतर्गत उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति में संदर्भित निम्न लिखित एकत्रित लकड़ी को विभिन्न लॉट के अंतर्गत “जैसा है जहाँ है” के आधार बेचने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदा दाता का नाम : _____।

2. पिता : पति का नाम / _____।

3. पूरा पता : _____

4. दूरभाष नंबर _____ मोबाइल फोन नं _____

5. पैम नं _____ (स्वयम सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र नं वोटर आइ.डी., आधार कार्ड आदि _____ (स्वयम सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करे)
7. निविदा शुल्क (रु. 236): डिमाण्ड ड्राफ्ट सं _____ दिनांक _____
जारी कर्ता बैंक _____ शाखा _____ (ड्राफ्ट संलग्न)

निविदा राशी प्रस्ताव (टेंडर ऑफर):

राष्ट्रीय बीज निगम के फार्म कार्यालय सूरतगढ़ - जिला- श्री गंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में विभिन्न लॉट में **एकत्रित लकड़ी** खरीदने हेतु लॉट के अनुसार निविदा मूल्य प्रस्ताव निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।:

लॉट न०	लकड़ी /का विवरण / प्रकार / श्रेणी	लकड़ी का अनुमानित वज़न का (कु.)	ठेका अनुसार निविदा मूल्य प्रस्ताव)Tender Offer)
			प्रति लॉट (रुपया अंकों व शब्दों में) रु. _____ शब्दों में) _____)
1/11			
2/11			
3/11			
4/11			
5/11			
6/11			
7/11			
8/11			
9/11			
10/11			
11/11			

धरोहर राशी का विवरण :

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये :किये जाने वाली धरोहर राशी का विवरण /

लॉट नं.	बैंक ड्राफ्ट बैंक ट्रान्सफर का / विवरण एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता /एकाउंट नं., ईएफसी कोड आदि	धरोहर राशी (रु.)

उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंक ट्रान्सफर रसीद संलग्न किये जायें

सत्यापन एवं घोषणा :

यह सत्यापित किया जाता हैकि:

1. निविदा या नीलामी में भाग लेने से पूर्व निविदा /बोली दाता ने वृक्ष लकड़ी की गुणवत्ता तथा स्थान आदि को भौतिक रूप से भली भाँति जाँच परख लिया गया है तथा विवरण हस्ताक्षर कर संलग्न किया गया है।
2. इस निविदा नीलामी के अंतर्गत-वृक्षों, लकड़ी अथवा झाड़ियों के विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के शासकीय एवं संवैधानिक परोक्ष अपरोक्ष कर, चुँगी, नगरपालिका, मंडी, वन विभाग, पारगमन परमिट)T.P.तथा अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स (, सेस, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान क्रेता ठेकेदार / नीलामी राशि के अतिरिक्त स्वयं वहन करना होगा।-को निविदा
3. यह प्रमाणित करता हूँ करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ /व समझ ली हैं। मुझे हमें / सभी शर्तें मान्य हैं।
4. निविदा पूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों/अंकों में भरी होनी चाहिये / , प्रत्येक त्रुटि सुधार पर पूरे हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। अपठनीय, अस्पष्ट अथवा अपूर्ण निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा, संलग्न प्रपत्रों तथा विक्रय शर्तों कि प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण सहमति के साथ हस्ताक्षर कर संलग्न किया गया है।



निविदा प्रस्तुत है।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

मना)_____

पूर्ण पता.....

संलग्न दस्तावेज :

	<p>नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुस्वत्न कंपनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar Phone : 01509-223873</p>	
--	--	--	--

No.CSF/SOG/2-271/CT/Agri./2019-20

Dated: 20.09.2019.

राष्ट्रीय बीज निगम लि.

फार्म / प्रक्षेत्र कार्यालय: सूरतगढ़ जिला- श्री गंगानगर (राजस्थान)

फार्म में एकत्रित लकड़ी बेचने के लिए निविदा-सह-नीलामी हेतु नियम व शर्तें

1. राष्ट्रीय बीज निगम के सूरतगढ़ जिला- श्री गंगानगर (राजस्थान) फार्म कार्यालय के अधिकार में एकत्रित लकड़ी के विक्रय हेतु निविदा/नीलामी सूचना **23.09.2019** के अनुसार निश्चित संख्या लाट में एकत्रित लकड़ी अनुमानित लकड़ी वज़न लाट को विक्रय किया जाना निश्चित किया गया है।
2. विक्रय किए जाने वाले वृक्षों / एकत्रित लकड़ी की बिक्री निविदा या नीलामी अथवा निविदा सह नीलामी द्वारा “जैसा है जो है जहाँ है” के आधार पर की जाएगी। इसके प्रयोजनार्थ वृक्षों / लकड़ी की बिक्री के नियम एवं शर्तें निविदा/बोलीदाता ने भालिभांति जान-समझ ली हैं तथा उसे स्वीकार हैं।
3. निविदा या नीलामी में भाग लेने से पूर्व निविदा /बोली दाता द्वारा वृक्षों / लकड़ी की गुणवत्ता संख्या तथा स्थान आदि को भौतिक रूप से भली भाँति जाँच परख लिया गया है। वृक्षों / लकड़ी की बिक्री के पश्चात इस संबंध में क्रेता को किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद का अधिकार नहीं होगा।
4. टेन्डर/ नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्रेता की पहचान तथा अन्य जानकारी के प्रयोजनार्थ कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, डाइविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा-खतोनी तथा पैन कार्ड

- इत्यादि प्रस्तुत करना होगा। यदि बोली दाता/ ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त दस्तावेज़ साझेदारों से सम्बन्धित हों। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे टेंडर/नीलामी में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र, कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, वित्तीय स्थिति, व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची तथा उक्त वर्णित में से कोई दो पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान-पत्र, पैनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति स्वयं सत्यापित कर निविदा के साथ संलग्न / नीलामी के समय जमा करनी होगी। किसी भी प्रकार के अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पते के कारण अथवा डाक विभाग द्वारा हुई देरी/त्रुटि से यदि कोई पत्र / सूचना निविदा/बोली दाता के पास उचित समय में नहीं पहुँचती है तो फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
5. फार्म प्राधिकारी, को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना पूर्व सूचना या नोटिस दिये, निविदा अथवा बोली को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें। इस विषय में फार्म प्राधिकारी किसी प्रकार से कारण सूचित करने को बाध्य नहीं होगा।
 6. कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसे राष्ट्रीय बीज निगम के किसी भी कार्यालय / फार्म द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया हो, जिस पर निगम की बकाया धनराशि देनदारी हो, जिसे न्यायालय द्वारा अपराधी या शासन द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, अवयस्क हो या किसी भी प्रकार से निविदा / नीलामी के कार्य के अयोग्य हो। ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था निविदा अथवा नीलामी में किसी भी प्रकार की जानकारी छुपा कर भाग लेता है तो फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि किसी भी स्तर पर ठेका निरस्त कर दे ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि स्वतः जब्त हो जाएगी तथा शर्त संख्या 39 के अनुसार भी जमा धनराशि समायोजित की जाएगी।
 7. प्रत्येक बोली दाता को बोली/टेन्डर में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि (ईएमडी) निश्चित प्रपत्र में व ठेके की शर्तों की स्वीकृति के साथ पूरे हस्ताक्षर सहित, डिमांड ड्राफ्ट / बैंक ट्रांसफर द्वारा जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़ के नाम देय हो / एकाउंट नं _____ बैंक _____ शाखा _____ ईएफसी कोड _____ फार्म के खजांची के पास अथवा फार्म के अकाउंट में जमा करनी होगी, वृक्षों/लकड़ी की बोली यदि लाट के हिसाब से अलग-अलग की जाती है तो प्रत्येक लाट की बोली हेतु निम्नलिखित धरोहर राशि अलग-अलग जमा करनी होगी।
 - a. प्रथम/ पहले लाट हेतु धरोहर राशि : ₹20 ,000/-
 - b. प्रथम लाट के साथ अन्य प्रति लाट हेतु धरोहर राशि : ₹100 00/-
 8. धरोहर राशि के लिए चैक या लिफाफे में रखी गयी नगद राशि मान्य नहीं होगी साथ ही यदि धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक ट्रांसफर निश्चित राशि से कम जमा कराया जाता है तो उस निविदा को निरस्त किया जा सकता है। असफल निविदा / बोलीदाता को धरोहर राशि फार्म के खाते में जमा होने के बाद दो कार्यदिवस में चैक द्वारा अथवा बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अदा कर दी जाएगी।
 9. निविदा दाता को निविदा जमा करने के पश्चात उसे वापस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
 10. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवं फैंक्स व पत्र/ईमेल / अनुशंषा / अवांछित दबाव मान्य नहीं होगा।
 11. सफल निविदा/बोली दाता को निविदा राशि का 10% की दर से प्रतिभूति राशि भी 3 दिवस में जमा करनी होगी।
 12. सफल निविदादाता / बोलीदाता को बोली समाप्त होते ही स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत धन राशि उसी समय अथवा अधिकतम 3 दिवस के अंदर जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि विक्रय स्वीकृति पत्र जारी होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी। बकाया राशि/ राशियों को जमा करने में विलम्ब होने पर अधिकतम 15 अतिरिक्त दिवस के अंदर 18% वार्षिक की दर से ब्याज सहित पूर्ण राशि फार्म प्राधिकारी की स्वीकृति ले कर जमा करनी होगी।
 13. प्रतिभूति तथा प्रारम्भिक 25% राशि जमा करने हेतु समान्यतः कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यदि शेष संपूर्ण देय राशि अतिरिक्त 15 दिवस बढ़ाई गई समय सीमा में भी जमा नहीं की जाती है तो उस दशा में क्रेता द्वारा जमा की गई राशि से धरोहर एवं प्रतिभूति राशि फार्म द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा शेष धन राशि बिना ब्याज क्रेता को अदा की जायेगी इस स्थिति में ठेका स्वतः रद्द हो जायेगा। जिसके लिए क्रेता को

किसी प्रकार की सूचना या नोटिस देय नहीं होगा। इस स्थिति में संबंधित वृक्षों / लकड़ी के संबंधित लाट / लाटों को दोबारा विक्रय करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा।

14. क्रेता द्वारा ठेके की सम्पूर्ण राशि फार्म को अदा करने पर ही फार्म प्राधिकारी द्वारा वृक्षों की कटाई-पातन / लकड़ी की ढुलाई का स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।
15. वृक्षों के पातन-कटाई / लकड़ी की ढुलाई हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने के दिन से 90 दिवस समय सीमा *(एकत्रित लकड़ी की बिक्री हेतु 60 दिवस)* के भीतर सभी वृक्षों की कटाई कर फार्म से ले जाना होगा। ज्यों ही वृक्षों की कटाई या लकड़ी के उठाने का अधिकृत समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का वृक्षों या लकड़ी पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। वृक्षों / लकड़ी की कटाई अथवा ढुलाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी। तथापि क्रेता द्वारा उचित कारण पर अनुरोध करने पर 90 दिवस के उपरान्त निम्न लिखित दर से भूमि कर (Ground Rent) चुका कर शेष पेड़ / लकड़ी काटने-उठाने हेतु अतिरिक्त समय सीमा फार्म प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है:
 - i. प्रथम अतिरिक्त 30 दिवस रु 5/- प्रति वृक्ष प्रति दिवस की दर से। *(लकड़ी विक्रय ठेका: रु.2/- प्रति कुंतल प्रति दिवस लकड़ी उठाने-लेजाने हेतु)*
 - ii. द्वितीय अतिरिक्त 60 दिवस रु 10/- प्रति वृक्ष प्रति दिवस की दर से। *(लकड़ी विक्रय ठेका - द्वितीय अतिरिक्त 30 दिवस: रु.5/- प्रति कुंतल प्रति दिवस 30 दिवस में लकड़ी उठाने-लेजाने हेतु)* *(जंगली झाड़ियों जैसे जुलिफ्लोरा के विक्रय हेतु झाड़ियों का प्रकार, सघनता, फैलाव आ स्थिति को ध्यान में रखते हुए फार्म समिति समय सीमा का निर्धारण निर्णय ले)*
16. यदि क्रेता प्राधिकृत समय सीमा तथा अतिरिक्त प्रावधानिक समय सीमा के बाद भी विक्रय किये गये सभी वृक्ष / लकड़ी लाट को किसी भी कारण से नहीं ले जाता है तो उस दशा में शर्त संख्या 39 के अनुसार क्रेता द्वारा जमा धन राशि को फार्म द्वारा जब्त कर लिये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।
17. क्रेता को विक्रय किए गए वृक्ष / झाड़ी / लकड़ी लॉट को एक ओर से काटना / उठाना होगा तथा चुन कर/छांट कर काटने-उठाने का अधिकार क्रेता को नहीं होगा।
18. क्रेता पूर्ण जानकारी के बाद ही मात्र खरीदे गये लॉट के पेड़ों की कटाई / लकड़ी की उठाई करेगा। यदि जानबूझ कर या अनजाने में कोई अन्य पेड़ काट लिया जाता है या कोई अन्य लकड़ी ले जाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी द्वारा नियत पेड़ की पूरी कीमत के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा जो कि पेड़/लकड़ी की कीमत से दो गुना होगा। यदि क्रेता या उसके कार्यकर्ता बार-बार ऐसा करते हैं तो फार्म को पूर्ण अधिकार होगा कि पूर्ण कीमत और जुर्माना वसूल कर ठेका निरस्त कर दे तथा शर्त संख्या 31 एवं 39 के अनुसार भी कार्यवाही की जा सकती है।
19. यदि फार्म जंगली बबूल/जुलिफ्लोरा की झाड़ियों की नीलामी करता है तो क्रेता अधिकृत निश्चित स्थान से एक ओर से 6" गर्थ (मोटाई) तक की झाड़ी लकड़ी काट कर व तौल ले जा सकता है। यदि वह अधिक मोटाई वाले वृक्ष काटता है तो शर्त संख्या 18 के अनुसार कार्यवाही मान्य होगी।
20. यदि फार्म द्वारा निकट के खेतों में खड़ी फसलों को वृक्षों के पातन-कटाई से होने वाली हानि, जलभराव की स्थिति अथवा किसी अन्य कारण से फार्म के हित को ध्यान में रखते हुए यदि वृक्षों के पातन-कटाई का कार्य रोका जाता है तो क्रेता को कार्य रोके जाने वाली समय अवधि के बराबर अतिरिक्त समय बिना भूमि कर वसूल किये दिया जायेगा।
21. यदि किसी प्रशासनिक बाध्यता/शासकीय आदेश/ न्यायालय आदेश के अनुसार ठेका स्थगित या निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रय में से शेष बचे वृक्षों/लकड़ी के एवज में फार्म द्वारा आकलित कीमत क्रेता को बिना ब्याज वापस की जा सकती है।
22. ठेका समाप्त होने पर सम्बंधित अधिकारी की संस्तुति पर कि क्रेता अथवा उसके कार्यकर्ता के कार्य कलापों से फार्म को किसी प्रकार की परोक्ष - अपरोक्ष हानि नहीं हुई है तथा कार्य शर्तों के अनुरूप पूरा किया गया है, सफल निविदा/बोली दाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा फार्म प्राधिकारी को उसका ठेका रद्द करने का भी अधिकार होगा।

23. सफल निविदा/बोली दाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा। इसकी अवहेलना करने पर ठेका रद्द माना जायेगा तथा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ शर्त संख्या 31 एवं 39 के अनुसार कार्यवाही का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा।
24. विक्रय किए गए वृक्षों को काटने / लकड़ी को उठाने-लेजाने हेतु ठेकेदार द्वारा जो आदमी लगाये जाएंगे उनकी सूची पते सहित फार्म प्राधिकारी को देनी होगी। फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि बिना कारण सूचित किये किसी भी अवांछित व्यक्ति का फार्म में प्रवेश वर्जित कर दे तथा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करे।
25. खड़े वृक्षों की बिक्री पूरे लॉट / वृक्ष संख्या के अनुसार तथा लकड़ी की बिक्री लॉट में वजन / तौल के आधार पर होगी।
26. लकड़ी काटने, ट्रांसिट परमिट की व्यवस्था तथा लकड़ी ढुलाई के लिए परिवहन आदि का प्रबन्ध ठेकेदार को स्वयं अपने खर्च पर करना होगा।
27. ठेकेदार को राज्य एवं केंद्र सरकार के वन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदा दाता शासन संबंधित वन अधिनियम तथा समय-समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत बनायी गई सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्च पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- ठेकेदार/क्रेता निगम के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड (इंडेमनिटी बाण्ड) इस आशय के साथ देगा कि उसके द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना, नियम अथवा वन सम्बन्धी कानून की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी तथा किसी भी प्रकार से उल्लंघन हेतु वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा उसके द्वारा नियम एवं कानून की किसी प्रकार के उन देखी या उल्लंघन की दशा में निगम किसी भी प्रकार से जवाबदेह नहीं होगा एवं यदि किसी भी प्रकरण में ठेकेदार के कृत्य हेतु राष्ट्रीय बीज निगम को किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा जवाबदेह बनाया जाता है तो उस दशा में सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति के साथ न्यायालय एवं अन्य सम्बन्धित खर्च ठेकेदार को वहन करने होंगे।
28. यदि कोई व्यक्ति खरीददार की जानकारी के बिना नीलाम वृक्ष/लकड़ी काटते हुए/पाया गया तो खरीददार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को विभागीय कार्यवाही हेतु देगा।
29. वृक्षों व लकड़ी की निविदा-नीलामी/बिक्री “ जैसा है जो है जहाँ है ” आधार पर की जाएगी बिक्री किए गये पेड़ों व लकड़ी को किसी भी कारण से हुए नुकसान के लिये बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखाड़ना, सूखना, आग लगना, आँधी-तूफान, बिजली, बीमारी, दीमक-कीड़ों, चोरी आदि (प्राकृतिक/अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोली दाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा।
30. ठेकेदार या उसके कार्यकर्ता द्वारा फार्म में अन्यत्र असम्बन्धित गतिविधियाँ, कार्यकलापों में रुकावट/व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलना, मवेशी पालन, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बन्धित न हो उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने, अथवा यदि फार्म की संपत्ति को कोई हानि होती है अथवा फार्म के कर्मचारियों/अधिकारियों से विवाद होता है तो इस के लिए परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा। इस दशा में की गई हानि का आर्थिक अथवा वैधानिक/न्यायिक हर्जाना / कार्यवाही ठेकेदार पर बाध्यकारी होगी। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म निदेशक द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषिद्ध किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी जमा राशियाँ जब्त कर ली जायेंगी।
31. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब एसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके को शर्त सं

- 39 के अनुसार निरस्त/रद्द कर ठेकेदार को निश्चित अवधी के लिए निगम के फार्मों / क्षेत्रीय कार्यालयों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दे। विवाद, झगड़ा या मतभेद के मामले में फार्म प्राधिकारी / सक्षम अधिकारी का निर्णय क्रेता / ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
- 32 ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है। ऐसा करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे।
- 33 ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी भी कृषि कार्य / कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा बाद में करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करे ।
- 34 इस अनुबन्ध के अंतर्गत वृक्षों, लकड़ी अथवा झाड़ियों के विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के शासकीय एवं संवैधानिक परोक्ष अपरोक्ष कर, चुँगी, नगरपालिका, मंडी, वन विभाग, पारगमन परमिट (T.P.) तथा अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स, सेस, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान क्रेता / ठेकेदार को निविदा-नीलामी राशि के अतिरिक्त स्वयं वहन करना होगा ।
- 35 नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार वृक्षों की सुरक्षा कटाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त कार्य अपने जोखिम व खर्च पर करेगा.
- 36 पारगमन परमिट क्रेता द्वारा स्वयं ही अपने खर्च पर प्राप्त करना होगा।
- 37 वृक्षों को जड़ सहित काटना होगा। जड़ एवं लकड़ी ले जानी होगी। जड़ उखाड़ने से हुए गड्ढे को भरना होगा।(आवश्यकता / प्रावधान अनुसार) ठेकेदार/क्रेता द्वारा अवहेलना की दशा में वृक्ष की औसत कीमत की 20% के बराबर की धन राशि धरोहर एवं प्रतिभूति राशि में से जब्त कर ली जाएगी।
- 38 पेड़ों के पातान-कटाई से सड़क अवरूद्ध नहीं होनी चाहिये एवं वाहनों - मशीनों का आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिये। पेड़ों के पातान, कटाई अथवा सड़क रास्ते लकड़ी ले जाने पर फसल में नुकसान नहीं होना चाहिए।
- 39 इस निविदा - नीलामी सौदे के अंतर्गत नियत किसी भी नियम एवं शर्त की खरीददार उसके प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अवहेलना करने पर फार्म प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द/समाप्त कर दे तथा काटे गए वृक्षों / उठाई-ढुलाई की गई लकड़ी की फार्म प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निश्चित की गई धन राशि, प्रावधानिक भूमिकर तथा ठेके के अंतर्गत क्रेता द्वारा फार्म में जमा की गई धरोहर एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ले।
- 40 वृक्षों /लकड़ी को फार्म से बाहर ले जाने के लिए दिवस समय सीमा का निर्धारण फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होगा। साधारणतः यह अनुमति कार्य दिवस में प्रात 8.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक होगी। कटे वृक्ष अथवा लकड़ी फार्म से बाहर ले जाने के लिए गेट पास आवश्यक होगा।
- 41 ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा । इस मामले में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि एवम प्रतिभूति राशि जब्त करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा साथ ही उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 42 इस सौदे के लिए रू. 100/- (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर ठेकेदार द्वारा ठेके के अंतर्गत विक्रय किए गए पेड़ों / लकड़ी का विवरण तथा सौदे के नियम व शर्तों पर करार (Agreement) तथा रू. 100/- (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर शर्त संख्या 27 के अनुसार क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond) पर दो गवाहों की उपस्थिति में फार्म के साथ अनुबंध करना आवश्यक होगा। स्टाम्प पेपर का प्रबन्ध ठेकेदार को स्वयं करना होगा। उपरोक्त दोनों अनुबंध ठेका स्वीकृत होने के 7 कार्यदिवस के अन्दर करने होंगे।
- 43 यदि उपरोक्त अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। विवाद के न सुलझने की स्थिति में, इस करार से सम्बंधित पक्षकार के आवेदन पर, सम्बंधित विवाद को समय-समय पर संशोधित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration & Conciliation Act,1996)के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ (Sole Arbitrator) द्वारा निपटान किया

जाएगा जो पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। पक्षकार विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा न्यायालय जाने से पूर्व आर्बिट्रेशन के माध्यम से करेंगे।

44 आर्बिट्रेशन एंड कानसिलिएशन के उपरान्त भी यदि कोई विवाद होता है तो न्याय हेतु सूरतगढ़ जिला— श्री गंगानगर (राजस्थान) न्यायालय क्षेत्र ही मान्य होगा।

घोषणा :- मैंने फार्म में खड़े पेड़ों / वृक्षों/ झाड़ियों/ एकत्रित लकड़ी खरीदने हेतु निविदा-सह-नीलामी की शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामंदी से, बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो-हवाश में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गयी हैं तथा ये नियम तथा शर्तें राष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रीय राज्य फार्म/क्षेत्रीय कार्यालय सूरतगढ़ जिला— श्री गंगानगर (राजस्थान) के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का अभिन्न अंग / भाग मानी जायेंगी।

(निविदा/बोली दाता के हस्ताक्षर)

दिनांक _____

स्थान _____

LOTWISE/CHAKWISE LOT OF STANDING TREES

AT C.S.F. SURATGARH AUCTION ON 15.10.2019.

Lot No.	PARTICULAR	BLOCK W/Centre	Qty. in Qtls.	Location of Lot
1/11	शीशम इमारती लकड़ी,	1, 2, 3	287-90	26.0 Qtls. B-1 Backside of open shad North side, 27.0 Qtls. Behind tech. Store of B-II 234.9 Qtls. Behind Tech. Store Near Fuel Pump at B-2
2/11	कीकर इमारती लकड़ी	1, 3	283-00	36.0 Qtls. B-1 Backside of open shad Near Godown No. 5, 247.0 B-2 behind open shad No.2.
3/11	जड,	1	80-00	Backside of Open shad north direction.
4/11	स्क्रैप लकड़ी	2	351-60	Opposite Godown No. 4
5/11	जलाउ लकड़ी,	1	2190-50	Backside of Open shad Near Godown No.5
6/11	जलाउ लकड़ी,	1	3315-70	Backside of Open shad West direction
7/11	जलाउ लकड़ी,	2	2000-	Opposite Godown No.6 Last Gate

			00	
8/11	जलाउ लकडी,	2	2000-00	Behind Tech. Store
9/11	जलाउ लकडी,	2	2000-00	Behind Godown No.3
10/11	जलाउ लकडी,	2	1362-90	Opposite Godown No. 3
11/11	जलाउ लकडी,	3	2327-20	Near Main Gate Block No.2 & Opposite Godown No.3 Western Side